भारत सरकार के राजपत्र के खण्ड- II भाग I में प्रकाशित होना है

फा. सं प्रशासन/ त्यागपत्र/ 10/2/2007/ 01 आ. नि. (प.) - 20627

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली

दिनांक, 06/03/2017

अधिसूचना संख्या 04/2017

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मुम्बई के अधीन पदस्थापित श्री सावंत दिलीप अनंत, सहायक निदेशक (पद्धति) ने स्वीकृत की गयी छुट्टी के समाप्त हो जाने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं किया है और दिनांक 10.10.2000 से आज तक लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 12 (2) के साथ पठित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 29.03.2012 की अधिसूचना जी एस आर 261 (ई) की शर्तो में, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारी जो विदेश सेवा के अन्यथा, छुट्टी के साथ अथवा छुट्टी के बिना, लगातार पांच वर्ष की अवधि से अधिक के लिए डयूटी (सेवा) से अनुपस्थित रहता है, तो उसका सरकारी सेवा से त्यागपत्र समझा जाएगा, वशर्ते उप नियम (2) के प्रावधानों को लागू करने से पहले उस सरकारी कर्मचारी को ऐसी अनुपस्थिति के लिए कारणों को स्पष्ट करने के उचित अवसर दिया गया हो।

3. श्री सावंत दिलीप अनंत के मामले में, दिनांक 05.12.2008 का त्यागपत्र जो आयकर आयुक्त (कार्मिक) मुम्बई को सम्बोधित था, मुम्बई कार्यालय में प्राप्त हुआ। यह देखा गया कि उक्त त्यागपत्र अनाधिकृत अनुपस्थिति के लगातार पांच वर्षो से अधिक की अवधि के बाद दाखिल किया गया था। तदानुसार विभाग के पास उपलब्ध पते पर आयकर आयुक्त (सी ओ) मुम्बई ने दिनांक 13.09.2012 के पत्र संख्या आयकर आयुक्त (सी. ओ)/ कारण बताओ नोटिस/ 2012-13 के एतत् द्वारा कारण बताओ नोटिस आयकर आयुक्त (सी.ओ) द्वारा जारी किया गया था। उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जवाब में, 01.10.2012 को पत्र प्राप्त हुआ। जिसमें उन्होनें दिनांक 05.12.2008 के पत्र द्वारा त्यागपत्र पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था। जो लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति के पांच वर्षो की अधिक की अवधि के बाद दाखिल किया गया श्री सावंत दिलीप अनंत, सहायक निदेशक(पद्धति), मुम्बई के मामले, में डयूटी से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के लिए नोटिस और केन्द्रीय सिविल सेवा(छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 12 के उपनियम (2) के प्रावधानों को आरम्भ करने और दिनांक 10.01 .2017 को समाचार पत्रों अर्थात टाइम्स ऑफ इन्डिया (अंग्रेजी), लोकसत्ता (मराठी), और नवभारत (हिन्दी) में भी प्रकाशित किया गया था जिसमें श्री सावंत दिलीप अनंत सहायक निदेशक(पद्धति), को उसके लम्बे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारणों को स्पष्ट करने के अवसर प्रदान किए गए थे और केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972

के नियम 12 के उपनियम 2 के अधीन दिनांक 10.10.2000 से क्यों न उनके अनुपस्थित रहने को त्यागपत्र समझा जाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। फिर भी, तथापि श्री सावंत दिलीप अनंत, सहायक निदेशक(पद्धति), मुम्बई से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

4. श्री सावंत दिलीप अनंत, सहायक निदेशक(पद्धति) ने स्वीकृत की गयी छुट्टी की अवधि समाप्त हो जाने के बाद डयुटी का कार्यभार ग्रहण नहीं किया और दिनांक 10.10.2000 से अर्थात पांच वर्षो से अधिक की लगातार अवधि के लिए डयूटी से अनधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित है।

5. इसलिए, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 12(2) के साथ पठित कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.3.2012 के जी एस आर 261 (ई) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति संतुष्ट है कि श्री सावंत दिलीप अनंत को लगातार अनुपस्थित रहने पर दिनांक 10.10.2000 से उनका त्यागपत्र माना जाएगा।

6. श्री सावंत दिलीप अनंत सेवानिवृति सम्बधी कोई लाभ पाने के हकदार नहीं होगें।

[भानु प्रताप]

भारत सरकार के अवर सचिव

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार का प्रेस
मायापुरी, नई दिल्ली

[अधिसूचना संख्या 2017 का 04, फा.स. प्रशासन/ त्यागपत्र/10/2/2007/01- आ.नि. (प.)]

प्रतिलिपि

सेवा में,

1. (प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मुम्बई के माध्यम से) संबंधित अधिकारी
2. प्रधान आयकर महानिदेशक (प.)/ प्रधान आयकर महानिदेशक (सतर्कता) के निजी सचिव।
3. वेबसाइट प्रबन्धक, आयकर निदेशालय (पद्धति), नई दिल्ली
4. अधिसूचना फोल्डर